ज्ञापांक–**2546**/तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–08.05.2023

सेवा में,

Pramod Singh,
N P Educational and Welfare Trust,
Sector-1/C, Q.no-499, Bokaro Steel City,

बिषय :– **मौजा–चास, प्लाट नं0–133, 134, 135, खाता न0–262, वार्ड नं0–00, थाना–चास, जिला–बोकारो में निर्मित शैक्षणिक भवनों हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, चास, बोकारो के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–177 दिनांक–02.05.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त शैक्षणिक भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम पच्चास–पच्चास हजार लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में कम से कम बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के सभी स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
5. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें एक लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
6. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का एक–एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. 450ली0 / मि0 क्षमता का एक–एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों परिसर में दो फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
    i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
    ii. Fire Bucket - 04 Nos.
    iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
12. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
13. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
15. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
16. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का चार अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
17. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
18. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी में 4.5 के0जी0 क्षमता का दो–दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।

20. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
21. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
22. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
22. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई, भवन के उँचाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
23. प्रत्येक शैक्षणिक भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
24. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
25. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.05.08 13:25:13 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।